

## इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

५५

पत्रांक : 72/प्र0310(म0)/जोन-6/वि0प्र10/2014-15 दिनांक 7/08/2014

### विनियमितीकरण/अनुमति-पत्र

यह विनियमितीकरण/निर्माण की अनुमति उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 82 एवं 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर व्यावसायिक/आवासीय (शमन/प्रस्तावित) मानचित्र विनियमित/परीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के नातिकाना अधिकारों पर किसी का कोई शरारत पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के गतिक्रय या स्थानित के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्रीमती लालमती पत्नी श्री राजेन्द्र प्रसाद जायसवाल एवं श्री राजेन्द्र प्रसाद जायसवाल पुत्र स्व0 राम कुमार जायसवाल द्वारा भूखण्ड संख्या-F-11-07 शान्तीपुरम् आवास योजना फाफामक इलाहाबाद जोन संख्या (6) के अन्तर्गत दखिल व्यावसायिक/आवासीय (शमन/प्रस्तावित) मानचित्र के क्रम में निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15(1) के प्राविधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपयोग/अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में उपविधि संख्या-2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने को पश्चात्, निर्मित किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
3. स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र सम्बन्धी विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा, जिसमें आर्किटेक्ट/इन्जीनियर के फर्म का नाम भी अंकित हो।
4. मानचित्र में दर्शित अशान्तीय भाग को स्वीकृत मानचित्र प्राप्त होने के एक माह के अन्दर कुशल इन्जीनियर की देख रेख में प्रस्तुत बांध पत्र के शर्तानुसार स्वतः धरत कराना होगा तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि किसी प्रकार का जन-धन की हानि न होने पाये, अन्यथा आवेदिका/आवेदक स्वतः जिम्मेदार होगा।
5. स्थल का अधिभोग/उपयोग स्वीकृत प्रस्तावना के अनुसार ही करना होगा, जिसमें स्टिस्ट पार्किंग, प्रथम तल पर व्यावसायिक हॉल, द्वितीय तल एवं तृतीय तल पर आवासीय निर्माण/उपयोग अनुमत्य किया जा रहा है।
6. रोमाटर सर्वेक्षण प्रणाली मानक के अनुसार पूर्ण कराते हुए भू-गर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। उत्पत्तिका ही जमा एन्डोडी0आर0 अवमुक्त किया जायेगा।
7. माननीय न्यायालय में कोई बाध होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी। यह स्वीकृति भू-स्वाभित्त का अधिकार प्रदान नहीं करती है। भू-स्वाभित्त कार्यवाही कोई भी विवाद सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी द्वारा ही निरस्तित किया जा सकता है।
8. यदि आवेदिका/आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
9. प्रस्तावित निर्माण की वैधता अर्द्धि पाँच वर्ष के लिये है।
10. मकान निर्माण से यदि नली के सञ्चय की पट्टी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के आय भाग, पृष्ठ भाग अथवा उसके आकार के कारण रुक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने खर्चे से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था विशेष विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाए, में कर देगा।
11. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी अक्ट 1956) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी पक्षा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
12. आवेदक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम जो देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।
13. यदि निर्माण में वास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को ही गई स्वीकृति रद्द समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर स्वतः अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

R. Jaiswal  
18-08-15

(पुष्कर श्रीवास्तव)  
विशेष कार्यधिनारी

